कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204 Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1351 /10एल0ए0 दिनांक 02/06/2018

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के कि.मी. 3 से चटिंग्याला कोटी नौली हिण्डोली हेते हुए सोनला कण्डरा मोटर मार्ग के कि.मी. 16 तक मोटर मार्ग के निर्माण 1.307 है. वनभूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण ।

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी./यू0सी0पी0/06/62/2016/एफ0सी0/1463 दिनांक 16.12.2016,

महोदय,

उपरोक्त विषयक मार्ग वन भूमि प्रस्ताव में भारत सरकार के पत्र संख्या 08बी./यू0सी0पी0/06/62/2016/एफ0सी0/1463 दिनांक 16.12.2016, के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में भारत सरकार द्वारा दी गई शर्तो की अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

1:– क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम–सुनाली की सिविल भूमि का वन विभागा के नाम नामान्तरण राजस्व अभिलखों में किया जा चुका है प्रमाणित प्रति संलग्न की जा रही है। तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक धनराशि CAMP के खाते में जमा की जा चुकी है, प्रमाणित छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

2:– विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुरूप एन0पी0वी0 की धनराशि CAMP के खाते में जमा की जा चुकी है।

3:– एन0पी0वी0 की बढ़ी धनराशि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

4:– विभाग द्वारा एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ऑन–लाइन पोर्टल के माध्यम से CAMP के खाते में जमा की गई है।

5:– सड़क निर्माण के बाद सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वन विभाग के निर्देशानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

6:– प्रस्तावित मार्ग का FRA एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित प्रपत्र एवं डिजिलट मानचित्र की प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः उक्तानुसार भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण शर्तो का अनुपालन आख्या तैयार कर भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्नः–(1) NPV/वृक्षारोपण धनराशि जमा चालान की प्रति
(2) सिविल भूमि नामान्तरण आदेश की प्रति।
(3) NPV प्रमाण पत्र।
(4) रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण प्रमाण पत्र।
(5) एफ.आर.ए. एवं मानचित्र।

तीन सेट में

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

पत्रांक /10एल0ए0 दिनांक / /2018

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता 7वॉ वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रति 1, 24

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 13-10-2017

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	113101772015691
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division, PWD, Karanprayag, Distt.- Cham Chamoli
Amount(in Rs)	1520908/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Twenty Thousand Nine Hundred and Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089113101772015691
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

प्रतिपर्ण/Counterfoil

आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा धन प्रेषण के लिए आवेदन

Application for RTGS/NEFT Remittance

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

शाखा /Branch :

दिनांक/Date : 30/X/2017

02 NOV 2017

Received From Ex. Engineer P.W.D. Karanprayag से प्राप्त किया

चैकों द्वारा अंतरण आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए

By Cheques/Transfer for RTGS/NEFT

पर/on :

बैंक/Bank : Corporation Bank

शाखा/Branch : FCS Banglore

के पक्ष में/Favouring : Uttrakhand Campa

IFSC Code CORP0000633

A/c No. 15089113101772015691

राशि (रूपये)/ Amount ₹	1520908
Bank's charges : ₹	—
कुल योग/ Total : ₹	1520908

रुपये (शब्दों में)/ Rupees (in words) : Fifteen lakh twenty thousand nine hundred & eight only.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

02 NOV 2017

Pc. Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

124

4	FP/UK/ROAD/10177/2015 Construction of Tefna Kandara Sonla Kandara via Chatingyala-Koti-Nauli-Hindoli Motor Road in District Chamoli Under Mukhya Mantri Ghosna	ROAD101772015691	113101772015691	16 Dec 2016	**CA:** 662209/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 858699/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 1520908/-	Paid P.e. attested	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 26 Sep 2017 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 13 Oct 2017 **Transaction Date** : 03 Nov 2017	Demand Letter Generated Challan

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no- 01372–252175

पत्रांक 1190 /12–1 , गोपेश्वर, दिनांक 16/09 2017।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषयः– जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के किमी0 3.00 से चटिग्याला–कोटी–नौली–हिण्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के किमी0 16.00 किमी0 तक मोटर मार्ग के निर्माण 1.307 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी का पत्रांक 1656/FP/UK/Road/10177/2015 दिनांक 22.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो आपको एवं इस कार्यालय को सम्बोधित है के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार की पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/62/2016/एफ0सी0/1463, दिनांक 16.12.2016 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुरूप शर्तो की अनुपालन आख्या/डिमाण्ड मात्र पत्र इस कार्यालय की पत्र सं0 3545/12–1 दिनांक 12.01.2017 से प्रेषित की गई, परन्तु धनराशि जमा न होने के कारण नये वित्तीय वर्ष में अनूसूचित दरों में परिवर्तन होने पर पुनः डिमाण्ड मांग प्रेषित किया जा रहा हैः–

1. शर्त सं0–01 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.614 है0 ग्राम सुनाली सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि रू0 6,62,209.00(रू0 छः लाख बासठ हजार दो सौ नौ) मात्र जमा की जानी है एवं उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण एवं हस्तान्तरण किया जायेगा।
2. शर्त सं0–02 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) हेतु देय धनराशि रू 8,58,699.00(रू आठ लाख अट्ठावन हजार छः सौ निनानब्बे) मात्र जमा की जानी है।

ईको क्लास	ईको क्लास घनत्व	धनराशि	है0	देय धनराशि (लाख मे) कॉलम(3 x 4)
1	2	3	4	5
V	0.2 (Open forest)	6,57,000.00	1.307	8,58,699.00

3. शर्त सं0–03 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्दता प्रस्तुत करनी होगी।
4. शर्त सं0 04 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 व 02 में देय धनराशि ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जायेगी तथा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
5. शर्त सं0–05 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।
6- State Govt. may provide original copy of revised village Level Commitee proceeding under FRA and digital map of the forest land proposal for diversion and the land identify for CA which have been uploaded in online web protal.

अतः आप भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित की जा सकें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पंत्राकः– / दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

(iv). No. of patches: Two

District 1. : Chamoli

(a). Village: Sunali

(b). Area(in ha.): 2.614

(c). Copy of KML file of the patch: View File

(d). Khasra details: 1458, 1456, 1549

(e). Present owner: Others

(f). Copy of ownership proof:

(g). Copy of Mou/agreement executed between the Present owner and the User Agency:

(h). Copy of non encumberence certificate for the forest land:

No of entry of mutation details must be equal to total no. of Patches

Online Date — 5/4/2018 to Nodal Office

– आदेश –

जनपद चमोली के अन्तर्गत तफनां–कण्डारा–चटिंग्याला–कोटी–नौली–हिण्डोली होते हुये सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.307 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.614 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/62/2016/एफ0सी0/1463 दिनांक 16.12.2016 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत तेफना–कण्डारा–चटिंग्याला–कोटी–नौली–हिण्डोली होते हुये सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.307 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज में ग्राम **सुनाली** प0वृ0 मंगरोली तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–06 के खसरा सं0–1458 रकबा 1.720 है0 भूमि मध्ये 1.600 है0 एवं खसरा सं0–1456/1549 रकबा 11.033 है0 भूमि मध्ये 1.014 है0 भूमि अर्थात **कुल 2.614 है0 भूमि**, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी–9(3) ड. अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में दर्ज है, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II)/2012–18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 5969/छब्बीस–32 (2016–2017) गोपेश्वरः दिनांकः 13 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

जिलाधिकारी,
चमोली।

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

नकल खतौनी (अ०फ०२०)

ग्राम - सुनाली पट्टी - बैगपौली तहसील - कर्णप्रयाग जिला - चमोली

श्रेणी - 9-3-5 : अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि

1	2	3	4	5 (नाली मुट्ठी)	6 (हैक्टे०)	
6	बंजर		11	1≡	0.009	**आदेश** श्रीमान जिलाधिकारी, महोदय, चमोली के पत्र सं० 5969/इक्कीस-32 (2016-2017) गोपेश्वर दिनांक 13 सितम्बर 2017 द्वारा ग्राम-सुनाली की नॉन जेड एक खतौनी खाता सं०-6 के खसरा नम्बर 1458 मि० रकबा 1.600 है० तथा खसरा नम्बर 1456/1549 मध्ये रकबा 1.014 है० कुल 2.614 है० भूमि वन विभाग के नाम पर शा०सं० 2173/XVIII (II)/2012-18(120)/2010 दि० 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। ह० अ० रा० उ० नि० गोपेश्वर 19/1/2018
			13	20111=	0.419	
			x	x	x	
			x	x	x	
			x	x	x	
			x	x	x	
			x	x	x	
			x	x	x	
			x	x	x	
			x	x	x	
			x	x	x	
			x	x	x	
			x	x	x	
			x	x	x	
			1458	8X111	1.720	
			1459	911	0.030	
			1456/1549	XX0	1.033	
		योग	33	0684111-	15.345	

नोट :- नकल खतौनी अनवलि तैयार की गयी है।

C.S. [signature]
तहसीलदार
कर्णप्रयाग

C.S. [signature] 19/1/2018 रा०उ०नि०

[signature] सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

वीत (३)

<u>परियोजना का नाम–</u> जनपद चमोली में तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 3 से चटिंग्याला कोटी नोली हिण्डोली हेते हुए सोलना कण्डारा मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 16 तक मोटर मार्ग केनिर्माण हेतु 1.307 है॰ वनभूमि का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

<u>एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

शीट (5)

<u>परियोजना का नाम–</u> जनपद चमोली में तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 3 से चटिंग्याला कोटी नोली हिण्डोली हेते हुए सोलना कण्डारा मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 16 तक मोटर मार्ग केनिर्माण हेतु 1.307 है॰ वनभूमि का हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

<u>रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग के पश्चात सड़क के दोनों तरफ आस–पास के रिक्त स्थानों पर यथा सम्भव विभाग अपने व्यय पर वृक्षारोपण करेगा।

अमीन लो.नि.वि.	कनिष्ठ अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग

Attachment-1

1.6

Annexure-I

FORM-I
(for Linear Projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /   Dated : 14-01-2015

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **1.307** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for **Construction of Tefna kandara Sonla kandara via chatingyala-koti-nauli-hindoli motor road in district chamoli** falls within jurisdiction of Kandara Village in Karanprayag Tehsil.

It is further certified that :-

(a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **1.307** Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it.

(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

Sanjay Kumar
D जिलाधिकारी rate
Chan चमोली tarakhand)

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रति 6

(1·6)

Annexure-I

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Sanjay Kumar, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on .14-01-2015.... At [illegible] Chamoli in which the application claiming rights in village Thapli of Tehsil-Karanprayag, area Measuring 1.307 Hectares for the **Construction of Tefna kandara ,Sonla kandara via chatingyala-koti-nauli-hindoli motor road** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

Sanjay Kumar
District Magistrate -cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

Re-attested

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो० नि० वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

116

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद राजेन्द्र सिंह मार्ग तेफना कण्डारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से होते हुये सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के किमी0 16.00 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्डस्तरीय समिति

उपखण्ड कर्णप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत तेफना कण्डारा के किमी0 5 से सोनला कण्डारा के किमी0 16 तक नाप भूमि (शून्य) हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.870 हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.437 हे0 वनपंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.307 हे0वनभूमि) का लो0नि0वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक 13-01-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की बैठक श्री किशन सिंह नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री किशन सिंह नेगी उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष

2– श्री शिवानन्द रतूड़ी उपप्रभागीय वनाधिकारी चमोली .... सदस्य

3– श्री मोहन सिंह भण्डारी सहायक समाजकल्याण अधिकारी कर्णप्रयाग सदस्य सचिव

4– श्री महिपाल सिंह नेगी .... वनाधिकार समीति सदस्य

श्रीमती सुशीला रावत .... वनाधिकार समीति सदस्य (सुशीला रावत)

श्री मातवर पुरोहित .... वनाधिकार समीति सदस्य

To attested

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

[illegible] परियोजनाहेतु..... 1.307 हे0.वनभूमि..........लो.नि.वि.......प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।उक्त भूमि का संबंधित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गईहै।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ...चमोली....... द्वारा अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करत हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।इस संबंध मे ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है।अतः प्रकरणमें उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकतीहै।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड..कर्णप्रयाग..परिक्षेत्र के अन्तर्गत..[illegible]..परियोजना के निर्माणहेतु ..1.307.....हे0 वनभूमि लो.नि.वि.प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

3/3/15

उपजिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति

तहसील–..........कर्णप्रयाग..............
जनपद ....चमोली..............

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ...चमोली.......को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्डस्तरीय वनअधिकारसमिति
तहसील–........कर्णप्रयाग........
जनपद..........चमोली.........

Peattested

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो0 नि. वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रति-6

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में [illegible] मार्ग, [illegible] मोटर मार्ग के किमी [illegible] से चटिंग्याल, कोटी, नौली, हिण्डोली होते हुये सोनला [illegible] मोटर मार्ग के किमी 16 तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण।

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम....कण्डारा....(चटिंग्याल, कोटी, नौली, हिण्डोली, बांतोली
तहसील..कर्णप्रयाग..जिला...चमोली. सुनाली)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद....चमोली....अन्तर्गत [illegible] के किमी 3.0 से सोनला [illegible] के किमी 16 तक मोटर मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु ...शून्य... हे0 आरक्षितवनभूमि,...0.820... हे0 सिविल सोयमभूमि,..0.433..हे0 वनपंचायत भूमि अर्थात कुल ..1.302....हे0 वनभूमि का......लो.नि.वि. विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय मे ग्राम पंचायत..कण्डारा.... द्वारा दिनांक..8-1-2018..को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं ।उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है।इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम...कण्डारा.... के ग्रामवासियो को उक्त वन भूमि.........लो.नि.वि.......... प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

एम. एस. नेगवाल
ग्रा. पं. वि. अ.

ग्राम पंचायत कण्डारा
हस्ताक्षर Dewani
दिनांक 8-1-2018
ह0/–
ग्राम प्रधान

ह0/–
ग्रामसचिव

नोट :–* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र मे दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

श्रीते 6

प्रपत्र–23.1

दिनांक 8-1-2015 को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत कण्डारा (चोटिंग्याला, कोटी, नौली, हिन्डोली, बांतोली) सुनाली

कमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्री बलवीर सिंह रावत	Balbir
2-	श्री जयसिंह रावत	[illegible]
3-	श्री चन्द्रसिंह रावत	चन्द्र सिंह
4-	श्री मनोज सिंह रावत	[illegible]
5-	श्री मोहन सिंह रावत	Mohan
6-	श्री पूरन सिंह रावत	[illegible]
7-	श्री उम्मेद सिंह रावत	[illegible]
8-	श्री गिरिश चन्द्र पन्त	G.P. Pant
9-	श्री प्रेम पन्त	[illegible]
10-	श्री जगदीश प्रसाद पन्त	जगदीश पन्त
11-	श्री घनश्याम पन्त	घनश्याम पन्त
12-	श्री ललीता प्रसाद पन्त	[illegible]
13-	श्री कैलाश चन्द्र	KP.
14-	श्री मनोज पन्त	[illegible]
15-	हयात सिंह	हयात
16-	मंजू देवी	मंजू
17-	कुँवर सिंह रावत	[illegible]
18-	रघुनाथ सिंह	रघुनाथ

ह0/–
ग्रामप्रधान

(मोहर: ग्राम पंचायत ... कर्णप्रयाग; हस्ताक्षर Dewali; दिनांक 8-1-2015)

Re-attested

सहायक अभियन्ता
ग्रा. खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रति (6)

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के कि0मी0 3 से चटिंग्याला कोटी नौली हिण्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के कि0मी0 16 तक मोटर मार्ग का नव निर्माण

Legend

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
कर्णप्रयाग (चमोली)

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो0 नि0 वि0

प्रति ⑥

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना कण्डारा मोटर मार्ग) के कि0मी0 3 से चटिंग्याला कोटी नौली हिण्डोली होते हुए सोनला कण्डारा मोटर मार्ग के कि0मी0 16 तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

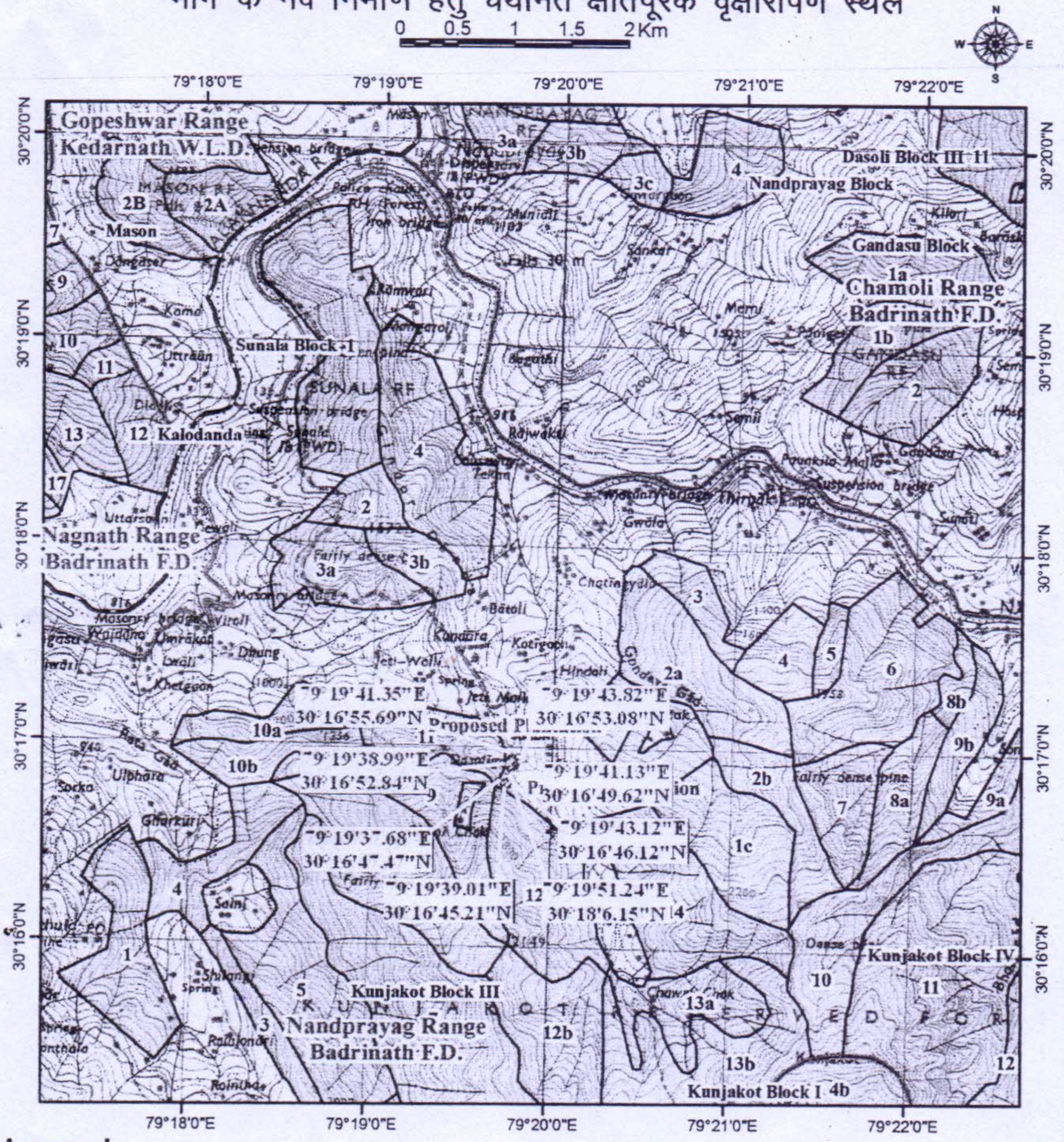

Legend

- Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Forest Boundary

Recommended
सहायक अभियन्ता
प्रा. खण्ड लो0 नि0 वि0
कर्णप्रयाग (चमोली)

J.E.

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.
कर्णप्रयाग (चमोली)